डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल 2001—चैत्र 29, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 9 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2001

वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2001 है. — संक्षिप्त नाम.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग [छत्तीसगढ़ विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2001 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए] सात हजार दो सौ चौरानवे करोड़, तिरान्वे लाख, अड़सठ हजार रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी. — वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए राज्य की संचित निधि में से 72,94,93,68,000 रुपयों का दिया जाना.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएगी. — विनियोग.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	8,86,28,26,000	8,86,28,26,000
	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	13,88,52,80,000	13,88,52,80,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	31,85,35,000	2,05,54,000	33,90,89,000
		पूंजी	5,21,000	0	5,21,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	1,82,84,000	0	1,82,84,000
03	पुलिस	राजस्व	2,89,01,52,000	14,56,000	2,89,16,08,000
		पूंजी	40,000	0	40,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	2,36,02,000	0	2,36,02,000
05	जेल	राजस्व	18,91,32,000	0	18,91,32,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,50,92,43,000	2,10,000	4,50,94,53,000
		पूंजी	12,83,56,000	0	12,83,56,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	44,34,19,000	6,55,27,000	50,89,46,000
		पूंजी	5,000	0	5,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	1,04,31,94,000	41,45,000	1,04,73,39,000
		पूंजी	3,72,85,000	0	3,72,85,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	12,30,10,000	0	12,30,10,000
		पूंजी	56,75,000	0	56,75,000
10	वन	राजस्व	2,49,06,89,000	85,75,000	2,49,92,64,000
		पूंजी	2,27,45,000	0	2,27,45,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,69,10,000	15,000	6,69,25,000
		पूंजी	1,14,72,000	15,00,000	1,29,72,000
12.	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	79,19,06,000	6,66,00,000	85,85,06,000
		पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
13	कृषि	राजस्व	66,98,34,000	5,50,000	67,03,84,000
		पूंजी	53,34,000	0	53,34,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	39,61,72,000	1,00,000	39,62,72,000
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज	राजस्व	21,41,26,000	0	21,41,26,000
	संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	पूंजी	46,75,000	0	46,75,000
16	मछली पालन	राजस्व	5,48,60,000	1,00,000	5,49,60,000
17	सहकारिता	राजस्व	6,62,01,000	0	6,62,01,000
		पूंजी	22,56,81,000	0	22,56,81,000
18	श्रम	राजस्व	7,63,85,000	20,000	7,64,05,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1,83,78,78,000	6,30,000	1,83,85,08,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	1,01,25,22,000	5,00,000	1,01,30,22,000
		पूंजी	1,76,00,000	0	1,76,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित	राजस्व	4,71,33,000	0	4,71,33,000
	व्यय.	पूंजी	2,55,62,000	0	2,55,62,000
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय.	राजस्व	66,67,000	0	66,67,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	77,43,19,000	1,00,000	77,44,19,000
		पूंजी	1,14,19,58,000	5,00,000	1,14,24,58,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	78,37,39,000	6,00,000	78,43,39,000
		पूंजी	63,68,87,000	2,70,000	63,71,57,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित	राजस्व	6,42,05,000	50,000	6,42,55,000
	व्यय.	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,61,39,000	0	1,61,39,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	7,39,85,24,000	30,000	7,39,85,54,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	6,90,31,000	12,54,000	7,02,85,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	30,73,49,000	3,75,32,000	34,48,81,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	54,38,37,000	1,03,000	54,39,40,000
		पूंजी	1,10,05,00,000	0	1,10,05,00,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबधित व्यय.	राजस्व	5,72,86,000	0	5,72,86,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	13,00,03,000	0	13,00,03,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	2,75,53,93,000	1,00,000	2,75,54,93,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	6,19,33,000	40,000	6,19,73,000
35	पुनर्वास	राजस्व	1,13,93,000	50,000	1,14,43,000
		पूंजी	48,39,000	0	48,39,000
36	परिवहन	राजस्व	8,48,16,000	5,000	8,48,21,000
37	पर्यटन	पूंजी	57,60,000	0	57,60,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	24,82,16,000	1,00,000	24,83,16,000
		पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	91,00,000	0	91,00,000
		पूंजी	1,02,50,000	0	1,02,50,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	1,80,38,35,000	0	1,80,38,35,000
		पूंजी	94,31,00,000	5,00,000	94,36,00,000
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	26,99,11,000	5,00,000	27,04,11,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	1,99,93,000	0	1,99,93,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	84,98,79,000	55,000	84,99,34,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	9,21,93,000	0	9,21,93,000
		पूंजी	14,66,56,000	0	14,66,56,000
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	74,54,000	0	74,54,000
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	52,48,42,000	0	52,48,42,000
		पूंजी	14,90,000	0	14,90,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान.	राजस्व	13,09,00,000	0	13,09,00,000
		पूंजी	14,37,20,000	0	14,37,20,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	15,64,68,000	1,000	15,64,69,000
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,08,33,000	0	1,08,33,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	30,60,000	17,000	30,77,000
52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	16,64,000	0	16,64,000
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	71,64,000	0	71,64,000
		पूंजी	10,000	0	10,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	14,00,01,000	0	14,00,01,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	1,19,71,16,000	0	1,19,71,16,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	7,83,04,000	0	7,83,04,000
		पूंजी	21,10,000	0	21,10,000
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	5,37,20,000	0	5,37,20,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	1,38,40,91,000	20,00,000	1,38,60,91,000
		पूंजी	1,67,71,000	0	1,67,71,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	9,20,00,000	0	9,20,00,000
61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	3,50,87,000	0	3,50,87,000
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व	82,58,18,000	0	82,58,18,000
		पूंजी	25,41,10,000	0	25,41,10,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	2,92,80,000	0	2,92,80,000
		पूंजी	16,00,00,000	0	16,00,00,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	15,91,99,000	0	15,91,99,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	66,27,65,000	6,00,000	66,33,65,000
		पूंजी	31,58,61,000	0	31,58,61,000
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	8,25,00,000	0	8,25,00,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	4,49,03,000	0	4,49,03,000
		पूंजी	3,03,80,000	0	3,03,80,000
71	पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	1,67,97,000	0	1,67,97,000
		पूंजी	20,000	0	20,000
73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	30,00,000	0	30,00,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	31,47,47,000	0	31,47,47,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	2,25,58,000	0	2,25,58,000
77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	8,00,00,000	0	8,00,00,000
78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	8,29,45,000	0	8,29,45,000
		पूंजी	30,00,000	0	30,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	35,44,07,000	4,00,000	35,48,07,000
80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,91,35,96,000	0	1,91,35,96,000
		पूंजी	14,57,000	0	14,57,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	1,29,69,82,000	6,00,00,000	1,35,69,82,000
		पूंजी	10,75,00,000	0	10,75,00,000
82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	72,31,58,000	0	72,31,58,000
		पूंजी	12,60,000	0	12,60,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,70,76,000	0	2,70,76,000
		योग-राजस्व	43,26,79,47,000	9,13,48,45,000	52,40,27,92,000
		योग-पूंजी	6,65,80,26,000	13,88,85,50,000	20,54,65,76,000
		वृहद-योग	49,92,59,73,000	23,02,33,95,000	72,94,93,68,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 12 अप्रैल, 2001

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल के द्वारा अनुशंसित''

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.